तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5498/2006/भीलवाडा हस्तुबाई व अन्य बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.22	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री योगेन्द्र सिंह व श्री अरूण प्रजापति, अधिवकत अप्रार्थीगण के। **निर्णय** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-07-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाडा ने अप्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को रूपये 50/- की कोस्ट पर स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने निगरानी मंडल में प्रस्तुत की है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जब एक बार समस्त अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को दावे की जानकारी है तो फिर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का उत्तरदायित्व बनता है कि वे प्रकरण में होने वाली सभी कार्यवाही का ध्यान रखे। परन्तु अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बार बार	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5498/2006/भीलवाडा हस्तुबाई व अन्य बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुपस्थिति के रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई गई थी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद वर्ष 1983 से विचाराधीन चल रहा है। अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण इसको लंबित करने हेतु समय समय पर कोई न कोई कार्यवाही करते रहते है जिस कारण दावे का निर्णय होने मे अत्यधिक विलंब हो रहा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2021 ए0आई0आर0 पेज 192 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने बहस में कथन किया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी तथा उक्त कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी पेश किया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपनी अनुपस्थिति का कारण वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, भीलवाडा के समक्ष प्रकरण का स्थानान्तरण बाबत प्रस्तुत किया था। परन्तु प्रकरण के स्थानान्तरित की कार्यवाही समाप्त होने की जानकरी उन्हें नहीं होने के कारण वह तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं आये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जिसक पश्चात अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रूपये 50/– की कोस्ट पर स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5498/2006/भीलवाडा हस्तुबाई व अन्य बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं की है। क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप समस्त अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपनी प्रतिरक्षा का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष में होने वाली अपूर्णीय क्षति तथा उनके न्यायिक हितों को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, जो विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2000 डब्ल्यू0एल0सी0 पेज 579, 1999 डी0एन0जे0 पेज 769 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुय प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। इस निगरानी में वर्णित समस्त तथ्यों व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.06 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को रूपये 50/– की कोस्ट पर स्वीकार कर एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कर दो तरफा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि दिनांक 25.04.06 को एकपक्षीय कार्यवाही के बाद दिनांक 19.05.06 को अर्थात लगभग एक माह में ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 मय शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक संपूर्ण विवरण और संबंधित कारणों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया था। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रकरण में संबंधित पक्षकारों के मध्य गुणावगुण पर अंतिम निर्णय तभी संभव हो सकता है जब उभयपक्षों को	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5498/2006/भीलवाडा हस्तुबाई व अन्य बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश विधिसगंत होने से हम इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने खारिज की जाती है एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2006 यथावत रखा जाता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में आगामी पेशी पर उपस्थित होकर अपने–अपने पक्ष में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	